सं0-I/1076319/2025/70-2005(002)/16/2024

प्रेषक,

निधि श्रीवास्तव,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1) कुलपति/कुलसचिव,	2) निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,	उच्च शिक्षा,
उ0प्र0।	उ0प्र0, प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक-02-09-2025

विषय-दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले प्रदेश के विश्वविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवानिवृति की तिथि (30 जून/ 31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोडे जाने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि वित विभाग के शासनादेश सं0-11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोडते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन किया जाय।

दिनांक 01 जुलाई को वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने सम्वन्धी व्यवस्था दिनांक-01.01.2006 से प्रभावी वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गयी है। अतः इन आदेशों से वे कार्मिक भी आच्छादित होंगे जो दिनांक-01.01.2006 के उपरान्त परन्तु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व सम्बंधित वर्ष की 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके थे परन्तु उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उन्हें एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। यही व्यवस्था दिनांक-01.01.2016 के उपरान्त परन्तु शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त उन कार्मिको पर भी लागू होगी जो सम्वंधित वर्ष की 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि देय थी। उक्त आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगे।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक-12.06.2024 में प्राविधानित व्यवस्था प्रदेश के विश्वविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर लागू किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(निधि श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

Digitally signed by
Nidhi Srivastava
Date: 02-09-2025
16:15:58

कार्यालय शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या-शि.नि.(उ.शि.)/1727-2285/2025-26 दिनांक- 19/09/2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि प्रशासनिक अनुभाग डिग्री अर्थ-1 से नोशनल वेतन वृद्धि के संबंध में प्राप्त कार्यालय आदेश के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. प्राचार्य, समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

डा0 (अमित भारद्वाज)
शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।